न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी–कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 11/2023
GCMS CASE NO-2023/11

1. राजेन्द्र पुत्र हरदेवाराम जाति जाट साकिन चक 165 आरडी तहसील सूरतगढ

अपीलांट

बनाम

बनाम

1– हरदत पुत्र श्री हरदेवाराम
2– सावित्री पत्नि श्री हरदेवाराम
3– सुमन पुत्री श्री हरदेवाराम

अकवाम जाट साकिनान दीपलाना हाल 165 आर डी तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

4–राजरथान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व सूरतगढ

रेस्पोडेंट

उपरिथतिः–
1. श्री राजवीर भादू वकील अपीलांट
2. राजपैरोकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 25.7.24

अपील के संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है।

यह कि रेस्पोडेन्ट सं0 4 तहसीलदार भू0अ0 सूरतगढ द्वारा पारित जैर अपील इन्तकाल सं0 205 दिनांक 19–5–2022 जिसकी रूह से अपीलान्ट के पिता हरदेवाराम पुत्र श्री कानाराम के नाम खातेदारी भूमि वाके चक 165 आर डी तहसील सूरतगढ के पं0 नं0 132/31 मु0 नं0 10 के किला नं0 1/1, 6/1 से 25/5.035 हे0 अ0क0 खातेदारी भूमि का विरासतन इन्तकाल स्वीकृत करके उक्त जेर अपील रकबा अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट नं0 1 ता 3 के नाम अपीलान्ट के पीठ पीछे बिना सुनवाई का अवसर दिये अपने क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर रेस्पोडेन्ट नं0 4 ने रेस्पोडेन्ट नं0 1 को फायदा पहुचाने की गर्ज से कानून की परिधि से बाहर जाकर इन्तकाल दर्ज करवा लिया है यह निर्णय व इन्तकाल कानून खिलाफ रिकार्ड मिसल व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत एक तरफा तौर पर पारित होने के कारण काबिल निरस्ती के है अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट नं0 1 ता 3 के पिता/ पति हरदेवाराम पुत्र श्री कानाराम के नाम वाके चक 165 आर डी तहसील सूरतगढ के पं0 नं0 132/24 में 3–16 बीघा एवं पं0 नं0 132/31 में 19–18 बीघा कुल तादादी 23–14 बीघा भूमिहीन के तहत श्रीमान ए सी सी सूरतगढ के द्वारा आंवटित की गई । जिसकी समस्त कि ते अपीलान्ट के पिता ने राजस्व कोश में जमा करवाने के प चात श्रीमान जिला कलक्टर महोदय श्री गंगानगर ने खातेदारी सनद जारी की गई जो सनद संख्या 080824 दिनांक 15–09–1997 की गई । अपीलान्ट के पिता ने अपने जीवन काल में अपनी चल अचल सम्पती का उचित प्रबन्ध कर जैरअपील अपीलाधीन रकबा की वसीयत अपने पूर्ण होश हवास बिना किसी दवाब के अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट न0 1 के पक्ष में निष्पादित करवा दी तथा वसीयत की दिनांक से ही उक्त जैरअपील रकबा का कब्जा काश्त

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ (जिला–श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.06 17:03:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट नं0 1 को सम्भला दिया जिस पर अपीलान्ट आज तक कब्जा काश्त चला आ रहा है । इन सभी तथ्यों की जानकारी रेस्पोडेन्ट नं0 1 को होने के बावजूद राजस्व कर्मियो से सांठ गांठ करके अपीलान्ट को बिना बताये तथाकथित तरीके से उक्त जैरवाद अपीलाधीन रकबा का विरास्तन इन्तकाल मातहत न्यायालय से पारित करवा दिया जैर अपील इन्तकाल स्वीकृति का आदेश पूर्णतया एक तरफा तौर पर पारित किया गया है । अपीलान्ट के पिता के नाम जैरवाद अपीलाधीन रकबा की वसीयत हो जाने के पश्चात विरास्तन इन्तकाल दर्ज नही किया जा सकता है । जब रेस्पोडेन्ट नं0 1 को इन तमाम तथ्यों की जानकारी होने के पश्चात अपने फायदे के लिए जैरवाद रकबा का विरास्तन करवाया गया है । जो कानून के विपरीत व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत पारित किया गया है अपीलाधीन इन्तकाल सं0 205 दिनांक 19–05–2022 को रेस्पोडेन्ट नं0 4 तहसीलदार भू0अ0 सूरतगढ के द्वारा अपने क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर रेस्पोडेन्ट नं0 1 को फायदा पहुचाने की गर्ज से स्वीकृत किया गया जबकि विरास्तन इन्तकाल तस्दीक करने का क्षैत्राधिकार 45 दिनो तक ग्राम पंचायत को होता है जैर अपीलाधीन इन्तकाल पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 15–05–2022 को दर्ज किया गया जिस पर दिनांक 19–05–2022 को आई एल आर ने मिलान करना लिखा है और उसी दिन दिनांक 19–05–2022 को रेस्पोडेन्ट नं0 4 ने स्वीकृत कर दिया गया । जबकि भू राजस्व अधि0 के तहत ग्राम पंचायत के 45 दिनो की समाप्ति के पश्चात रेस्पोडेन्ट नं0 4 का क्षैत्राधिकार बनता है इसलिए क्षैत्राधिकार विहीन आदेश निरस्त योग्य है अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य है। राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम व राजस्थान काश्ताकारी कानूनो के प्रावधानो के अनुसार जब कोई खातेदार/ गैर खातेदार काश्तकार फौत हो जाता है तो उसके नाम के रकबा की वसीयत होने पर वसीयत ग्रहिता के पक्ष में अधिकार निहित हो जाते है या का तकार निर्वसीयत फौत हो जाए तो सभी वारिसान में हक निहित हो जाता है जिसके लिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त अनुसार उक्त काश्तकार के सभी वारिसान को सुनवाई का अवसर दिया जाने के पश्चात वसीयत / निंवसीयत के आधार पर इन्तकाल की कार्यवाही की जाती है परन्तू उक्त जैर अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की कोई कानूनी प्रकिया अपनाये बिना ही अपने क्यासो के आधार पर केवल रेस्पोडेन्ट नं0 1 के बिना तस्दीक वारीस के आधार पर जेर अपील इन्तकाल तस्दीक कर दिया जो कतई रखने योग्य नही है । इसलिए भी अपील स्वीकार योग्य है व जैर अपील आदेश निरास्ती योग्य है । अपीलान्ट के पिता ने अपने नाम जैरवाद अपीलाधीन रकबा की वसीयत अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट नं0 1 के पक्ष में निश्पादित करवा दी गई जिस पर अपीलान्ट के पिता के देहान्त के प्श्चात उक्त जेरवाद रकबा पर अपीलान्ट एवं रेसपोडेन्ट नं0 1 के बहिस्सा बराबर हक निहित हो गये तथा जैरवाद रकबा पर भी अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ड नं0 1 बहिस्सा बराबर काश्त करते आ रहे है । तो उक्त जैरवाद रकबा का विरास्तन इन्तकाल नही किया जा सकता रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने अपने फायदा के लिए उक्त जैरवाद रकबा का इन्तकाल अपीलान्ट के पीठ पीछे दर्ज करवा कर अपीलान्ट के हितो पर कुठाराधात किया है इसलिए अपीलाधीन इन्तकाल निरस्ती योग्य है व अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य है ।

सर्वप्रथम धारा 5 मियाद पर बहस सुनी गई वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलान्ट जैर अपील इन्तकाल की आज तक कोई जानकारी नही थी अपीलान्ट ने उक्त जेरवाद अपीलाधीन रकबा की वसीयत का इन्तकाल दर्ज करवाने के लिए पटवारी हल्का से दिनांक 05–01–2023 को मिला पटवारी हल्का ने राजस्व रिकार्ड का अवलोकन कर अपीलान्ट को बताया कि उक्त जेरवाद रकबा का विरास्तन इन्तकाल दर्ज हो चुका है । अब वसीयत का इन्तकाल दर्ज नही हो सकता है । इस पर अपीलान्ट ने पटवारी हल्का से इन्तकाल की नकल प्राप्त कर अभिभाषक से सम्पर्क किया अभिभाषक ने इन्तकाल की अपील करने का बताया जिस पर अपीलान्ट अभिभाषक की फीस की व्यवस्था कर अपील बिना किसी देरी के पेश कर दी है इसके अलावा जैर अपील आदेश शुरू से शुन्य है जिसमें

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.06 17:03:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

मियाद का बिन्दू आड़े नही आता है इसलिए भी अपीलान्ट की अपील फैसले की जानकारी से अन्दर मियाद है अपीलान्ट सदभावी है जिसने जानबुझकर देरी नही की है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

बहस अपीलांट सुनी गई चूंकि अपील का निस्तारण तकनीकी बिन्दुओं पर न किया जाकर गुणावगुण के आधार पर किया जाना है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

गुणावगुण के आधार पर बहस सुनी गई वकील अपीलांट ने कथन किया कि तहसीलदार भू0अ0 सूरतगढ द्वारा पारित जैर अपील इन्तकाल सं0 205 दिनांक 19–5–2022 जिसकी रूह से अपीलान्ट के पिता हरदेवाराम पुत्र श्री कानाराम के नाम खातेदारी भूमि वाके चक 165 आर डी तहसील सूरतगढ के पं0 नं0 132/31 मु0 नं0 10 के किला नं0 1/1 , 6/1 से 25/5.035 हे0 अ0क0 खातेदारी भूमि का विरास्तन इन्तकाल स्वीकृत करके उक्त जेर अपील रकबा अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्टनं0 1 ता 3 के नाम अपीलान्ट के पीठ पीछे बिना सुनवाई का अवसर दिये अपने क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर रेस्पोडेन्ट नं0 4 ने रेस्पोडेन्ट नं0 1 को फायदा पहुचाने की गर्ज से कानून की परिधि से बाहर जाकर इन्तकाल दर्ज करवा लिया है यह निर्णय व इन्तकाल कानून खिलाफ रिकार्ड मिसल व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत एक तरफा तौर पर पारित होने के कारण काबिल निरस्ती के है अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट नं0 1 ता 3 के पिता/ पति हरदेवाराम पुत्र श्री कानाराम के नाम वाके चक 165 आर डी तहसील सूरतगढ के पं0 नं0 132/24 में 3–16 बीघा एवं पं0 नं0 132/31 में 19–18 बीघा कुल तादादी 23–14 बीघा भूमिहीन के तहत श्रीमान ए सी सी सूरतगढ के द्वारा आंवटित की गई । जिसकी समस्त कि ते अपीलान्ट के पिता ने राजस्व कोश में जमा करवाने के पश्चात श्रीमान जिला कलक्टर महोदय श्री गंगानगर ने खातेदारी सनद जारी की गई जो सनद संख्या 080824 दिनांक 15–09–1997 की गई । अपीलान्ट के पिता ने अपने जीवन काल में अपनी चल अचल सम्पती का उचित प्रबन्ध कर जैरअपील अपीलाधीन रकबा की वसीयत अपने पूर्ण होश हवास बिना किसी दवाब के अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट न0 1 के पक्ष में निष्पादित करवा दी तथा वसीयत की दिनांक से ही उक्त जैरअपील रकबा का कब्जा काश्त अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट नं0 1 को सम्भला दिया जिस पर अपीलान्ट आज तक कब्जा काश्त चला आ रहा है । इन सभी तथ्यों की जानकारी रेस्पोडेन्ट नं0 1 को होने के बावजुद राजस्व कर्मियो से सांठ गांठ करके अपीलान्ट को बिना बताये तथाकथित तरीके से उक्त जैरवाद अपीलाधीन रकबा का विरास्तन इन्तकाल मातहत न्यायालय से पारित करवा दिया जैर अपील इन्तकाल स्वीकृति का आदेश पूर्णतया एक तरफा तौर पर पारित किया गया है । अपीलान्ट के पिता के नाम जैरवाद अपीलाधीन रकबा की वसीयत हो जाने के पश्चात विरास्तन इन्तकाल दर्ज नही किया जा सकता है । जब रेस्पोडेन्ट नं0 1 को इन तमाम तथ्यों की जानकारी होने के पश्चात अपने फायदे के लिए जैरवाद रकबा का विरास्तन करवाया गया है । जो कानून के विपरीत व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत पारित किया गया है अपीलाधीन इन्तकाल सं0 205 दिनांक 19–05–2022 को रेस्पोडेन्ट नं0 4 तहसीलदार भू0अ0 सूरतगढ के द्वारा अपने क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर रेस्पोडेन्ट नं0 1 को फायदा पहुचाने की गर्ज से स्वीकृत किया गया जबकि विरास्तन इन्तकाल तस्दीक करने का क्षैत्राधिकार 45 दिनो तक ग्राम पंचायत को होता है जैर अपीलाधीन इन्तकाल पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 15–05–2022 को दर्ज किया गया जिस पर दिनांक 19–05–2022 को आई एल आर ने मिलान करना लिखा है और उसी दिन दिनांक 19–05–2022 को रेस्पोडेन्ट नं0 4 ने स्वीकृत कर दिया गया । जबकि भू राजस्व अधि0 के तहत ग्राम पंचायत के 45 दिनो की समाप्ति के पश्चात रेस्पोडेन्ट नं0 4 का क्षैत्राधिकार बनता है इसलिए क्षैत्राधिकार विहीन आदेश निरस्त योग्य है अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य है। राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम व राजस्थान काश्ताकारी कानूनो के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ (जिला–श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.06 17:03:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

प्रावधानो के अनुसार जब कोई खातेदार/ गैर खातेदार काश्तकार फौत हो जाता है तो उसके नाम के रकबा की वसीयत होने पर वसीयत ग्रहिता के पक्ष में अधिकार निहित हो जाते है या का तकार निर्वसीयत फौत हो जाए तो सभी वारिसान में हक निहित हो है जिसके लिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त अनुसार उक्त काश्तकार के सभी वारिसान को सुनवाई का अवसर दिया जाने के पश्चात वसीयत / निंवसीयत के आधार पर इन्तकाल की कार्यवाही की जाती है परन्तू उक्त जैर अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की कोई कानूनी प्रकिया अपनाये बिना ही अपने क्यासो के आधार पर केवल रेस्पोडेन्ट नं0 1 के बिना तस्दीक वारीस के आधार पर जेर अपील इन्तकाल तस्दीक कर दिया जो कतई रखने योग्य नही है । इसलिए भी अपील स्वीकार योग्य है व जैर अपील आदेश निरास्ती योग्य है । अपीलान्ट के पिता ने अपने नाम जैरवाद अपीलाधीन रकबा की वसीयत अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट नं0 1 के पक्ष में निष्पादित करवा दी गई जिस पर अपीलान्ट के पिता के देहान्त के प चात उक्त जेरवाद रकबा पर अपीलान्ट एवं रेसपोडेन्ट नं0 1 के बहिस्सा बराबर हक निहित हो गये तथा जैरवाद रकबा पर भी अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ड नं0 1 बहिस्सा बराबर काश्त करते आ रहे है । तो उक्त जैरवाद रकबा का विरास्तन इन्तकाल नही किया जा सकता रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने अपने फायदा के लिए उक्त जैरवाद रकबा का इन्तकाल अपीलान्ट के पीठ पीछे दर्ज करवा कर अपीलान्ट के हितो पर कुठाराघात किया है इसलिए अपीलाधीन इन्तकाल निरस्ती योग्य है व अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य है ।

राजपैरोकार ने कथन किया कि दोनो पक्षो को सुनते हुए विधि पूर्वक निर्णय पारित किया है अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

बहस अपीलांट सुनी गई अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि तहसीलदार सूरतगढ द्वारा बिना सुनवाई किए आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत है अतः तहसीलदार सूरतगढ के आदेश को निरस्त करना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर पत्रावली तहसीलदार सूरतगढ को इस निर्देश के साथ रिमांड (प्रतिप्रेषित) की जाती है कि वसीयत को मध्यनजर रखते हुए दोनो पक्षो को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड निर्णय की प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

आज दिनांक 25.7.2024 को निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सूरतगढ़ (जिला-श्रीगंगानगर)

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.06 17:03:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner